न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.
अपील संख्या 192/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2014/00007)

1.	जगदीश	पिसरान मामराज जाति नायक साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2.	धन्नाराम	
3.	काशीराम	
4.	चन्द्रकला	पिसरान मामराज जाति नायक साकिन मक्कासर जिला हनुमानगढ।
5.	विनोद	
6.	रणवीर	
7.	ओमप्रकाश	पिसरान फुलाराम जाति नायक साकिन मक्कासर जिला हनुमानगढ।
8.	महावीर	

अपीलान्ट्स

बनाम

1. हड़मान पुत्र हरीराम जाति नायक साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर।
2. लीलूराम पुत्र कुरडाराम जाति नायक साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर।
3. राजस्थान सरकार।

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री हरिश मदान – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 24.08.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 29.09.2014 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर में तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा तस्दीक एवं स्वीकत नामान्तकरण सं. 1159 दिनांक 08.05.2012 के विरूद्ध अपील पेश कर उसे अपास्त करने निवेदन किया जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 29.09.2014 द्वारा अपील को स्वीकार कर इन्तकाल सं. 1159 दिनांक 08.05.2012 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार रावतसर को रिमाण्ड कर दोनो पक्षकारो को सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने का निर्देश दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अति.संभागीय आयुक्त

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि पूराराम के नाम ग्राम पोहड़का में गत खसरा नं. 150 में 12 बीधा, खसरा नं. 219 में 23 बीधा 17 बिस्वा हाल पत्थर नं. 197/1, 177/50, 177/52 व 197/2 में भूमि स्थित है। पूराराम के देहान्त के पश्चात् उसके तीन पुत्र जायज वारिसान है। कुरडाराम, हरिराम, मामराज है। तीनो का बदस्तूर कब्जा रहा है। कुरडाराम, हरिराम व मामराज ने सहायक कलेक्टर नोहर के समक्ष सैक्शन 15 एएए के तहत प्रार्थना पत्र तीनो ने एक साथ पेश किया तथा दिनांक 30.03.1998 को बहिस्सा बराबर खातेदारी दी गई एवं खातेदारी सनद् तीनो के नाम जारी कर दी गई। तीनो के पक्ष में इन्तकाल सं. 1159 दिनांक 08.05.2012 को स्वीकृत हो गया, इस इन्तकाल के विरूद्व रेस्पोडेन्ट हड़मान व लीलूराम ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि जिनके पक्ष में इन्तकाल है व तीनो पूर्व से मर चुके थें, इस कारण इनके नाम से दर्ज इन्तकाल खारिज किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील मियाद बाहर पेश की गई थी, मियाद की अवधी 30 दिन की होती है जबकि प्रथम अपील 33 दिन बाद पेश की गई है, तथा दफा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र पेश ही नही किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद का बिन्दु तय किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो स्पष्टतया मियाद अधिनियम का उल्लधन है। अपील ही दफा 5 के प्रार्थना पत्र के अभाव में अनकम्पलीट थी। रेवेन्यु कोर्टस मेनुवल पार्टस 2 के रूल 30 में स्पष्ट है कि मियाद बाहर अपील के साथ दफा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश करना मेन्डेटरी है। प्रथम अपील पेशकर्ता अपीलाधीन आदेश से एग्रीव्ड ही नही थे ना ही अपील पेश करने की कोई लोकशस्टेण्डाई थी क्योकि इनके नाम कोई भूमि नही थी, ना ही उन्होने अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त की इस कारण अपील ही इनकम्पीटेन्ट थी। सेक्शन 96 सी.पी.सी के तहत परमिशन ली जानी आवश्यक थी। इसके अलावा सनद् सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई थी तीनो के नाम दर्ज हुई थी। आज तक खातेदारी सनद् व

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खातेदारी आदेश निरस्त नही हुआ। आज तक रिव्यु का कोई फैसला ही नही हुआ है, ना ही कोई प्रमाण पेश किया। रिव्यू में नोटिस जारी हुवे, बाद में कार्यवाही बन्द हो गई। प्रथम अपील न्यायालय ने निर्णय में गलत अंकन किया है जबकि रिव्यू आज तक स्वीकार नही हुआ है। दिनांक 05.06.2012 से दावे में अस्थाई निषेधाज्ञा जैरकार थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड में परिवर्तन कर दिया। अपील आदेश के विरूद्व पेश होती है जबकि प्रथम अपील एक्जीक्यूशन के विरूद्व पेश हुई है। आदेश दिनांक 07.05.2012 का था जबकि अपील 08.05.2012 के विरूद्व पेश की है जो गलत थी। प्रथम अपील न्यायालय ने अधीनस्थ का रिकॉर्ड तलब किये बिना ही निर्णय प्राप्त कर दिया। खातेदारी दावे के बिना निरस्त नही हो सकती क्योकि टिनेन्सी एक्ट लागू हो जाता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 29.09.2014 निरस्त किया जावे । अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1991 पेज 164, RRD 1984 पेज 844, RRD 2011 पेज 384, RRD 1999 पेज 98, RRD 2015 पेज 119 (H C), RRD 1998 पेज 370, RRD 1993 पेज 40 व 230, RRD 2008 पेज 755, RRD 2006 पेज 131, RRD 1997 पेज 238, RRD 2010 पेज 393, RRD 1985 पेज 759, RRD 1982 पेज 234, RAJASTHAN REVENUE COURTS MANUAL का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.09.2014 से इन्तकाल सं. 1159 दिनांक 08.05.2012 को अपास्त कर प्रकरण को तहसीलदार रावतसर को रिमाण्ड किया है जो सही है। रिमाण्ड प्रकरण मे दोनो पक्षकारो को सुनकर निर्णय पारित होना है। सभी पक्षकारो को तहसीलदार रावतसर में अपनी बात रखने का अवसर मिल जायेगा। अतः अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जावे।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 29.09.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा तहसीलदार राजस्व रावतसर के रोही मौजा पोहड़का बारानी के नामान्तरकरण संख्या 1159 दिनांक 08.05.2012 को अपास्त करते हुवे प्रकरण तहसीलदार रावतसर को रिमाण्ड किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील के पेरा नं. 9 में नामान्तरण आदेश दिनाक 08.05.12 का है दिनांक 09.06.12 व 10.06.12 का अवकाश होने से दिनाक 11.06.12 को अपील प्रस्तुत का कथन अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर अपील का निर्णय पारित नही कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है जो न्योयोचित है। नामान्तरकरण संख्या 1159 के कॉलम संख्या 7 के अनुसार काश्तकार कुरड़ाराम, हरीराम पि. पुरा कौम नायक दर्ज है जबकि खातेदारी सनद दिनांक 30.3.88 के द्वारा कॉलम संख्या 9 में कुरड़ाराम, हरीराम, मामराज पि. पुराराम के नाम काश्तकार के रूप में दर्ज है जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि खातेदारी सनद के माध्यम से पूर्व में गैर खातेदार नही होते हुए भी मामराज का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ है जो कि सही नही है। जहा तक खातेदारी सनद 30.3.88 का प्रश्न है उसके संदर्भ में 15 एएए की पत्रावली के आदेशिका दिनांक 23.12.91 के अनुसार पुनर्विचार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः सुनवाई की जा रही है, इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 1159 जिस आदेश सनद खातेदारी के आधार पर दर्ज किया गया उसके विरूद्व रिव्यू प्रकरण विचाराधीन है। अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यो से भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर हुबहू चस्पा नही होते है। उक्त आधारो पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही होने के कारण उसमे

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर